



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-233

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 274446 दिनांक 26/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Chitra Jain S/o Praveen Agarwal	श्रीमती चित्रा जैन स्व. श्री महेश कुमार जैन	184	70.00 SQ. YARD	Private	R F C ENCLAVE Sector/Block-B	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्रीमती चित्रा जैन पुत्र श्री एम.के.जैन द्वारा निजी खातेदारी योजना आर.एफ.सी. एनक्लेव चौनपुरा के भूखण्ड संख्या बी-184 क्षेत्रफल 70 वर्ग गज का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना आर.एफ.सी. एनक्लेव के भूखण्ड संख्या बी-184 क्षेत्रफल 70.00 वर्ग गज की लीजडीड दिनांक 28.03.11 को श्रीमती चित्रा जैन स्व. श्री महेश कुमार जैन के नाम जारी की गयी थी। इस हेतु आवेदिका द्वारा मूल दस्तावेज गुम हो जाने के सम्बंध में शपथ पत्र,



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उप-पंजीयक कार्यालय से लीज डीड की प्राप्त प्रमाणित प्रति, गुमशुदगी एफआईआर 2019 आदि अपलोड किये गये हैं। आवेदिका द्वारा मौका फोटोग्राफस भी कम्प्यूटराईज है। प्रकरण में पूर्व में भी आवेदिका द्वारा पंजीयन संख्या 139321 दिनांक 23.03.2023 के द्वारा लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन करने पर पूर्व नोटशीट के पैरा संख्या 11/एन पर अंकित उपायुक्त महोदय के मौखिक निर्देशानुसार उक्त योजना में वाद विचाराधीन होने के कारण प्रकरण में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हैं का अंकन करते हुए प्रकरण को बंद किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

नोट :-

1. Chitra Jain S/o Praveen Agarwal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक कपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियां) में समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें। प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस
2. रक्षित पत्रावली। पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।